प्रेस विज्ञप्ति

03.07.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने पश्चिम बंगाल केंद्रीय एसएससी सहायक शिक्षक भर्ती घोटाला, पश्चिम बंगाल से संबंधित मामले में दिनांक 25.06.2026 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), कोलकाता के समक्ष पार्थ चटर्जी, सुश्री अर्पिता मुखर्जी, कुंतल घोष एवं अन्य के विरुद्ध द्वितीय अनुपूरक अभियोजन शिकायत दायर की है। यह शिकायत धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 18.04.2024 को प्रस्तुत अभियोजन शिकायत तथा दिनांक 18.10.2025 को प्रस्तुत प्रथम अनुपूरक अभियोजन शिकायत के क्रम में दायर की गई है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पश्चिम बंगाल केंद्रीय विद्यालय सेवा आयोग (डब्ल्यूबीसीएसएससी) के माध्यम से कक्षा IX-X तथा XI-XII के लिए सहायक शिक्षकों की भर्ती में बड़े पैमाने पर हुई अनियमितताओं से संबंधित केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी), कोलकाता द्वारा पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्टों (एफआईआर) के आधार पर जांच प्रारंभ की। अनुसूचित अपराध भारतीय दंड संहिता, 1860 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अंतर्गत आपराधिक षड्यंत्र, छल तथा भ्रष्टाचार से संबंधित हैं।

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के अंतर्गत की गई जांच से यह उजागर हुआ है कि ओएमआर अंकों में हेरफेर, व्यक्तित्व परीक्षण के अंकों में छेड़छाड़, अयोग्य अभ्यर्थियों की अवैध नियुक्ति तथा पैनलों की वैधता अवधि समाप्त होने के उपरांत नियुक्तियां प्रदान करने के माध्यम से बड़े पैमाने पर भर्ती घोटाले को अंजाम दिया गया। जांच से यह भी उजागर हुआ है कि निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए हजारों अभ्यर्थियों को अवैध रूप से शिक्षण पदों पर नियुक्त किया गया अथवा नियुक्ति हेतु अनुशंसित किया गया, जिससे पात्र अभ्यर्थी अपनी वैध नियुक्तियों से वंचित हो गए।

जांच से आगे यह भी उजागर हुआ है कि तत्कालीन विद्यालय शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री पार्थ चटर्जी ने डब्ल्यूबीसीएसएससी, डब्ल्यूबीबीएसई के अधिकारियों तथा विभिन्न बिचौलियों के साथ मिलीभगत कर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अवैध भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित करने एवं उसे सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जांच से यह भी उजागर हुआ है कि अयोग्य अभ्यर्थियों से नियुक्ति एवं नियुक्ति हेतु अनुशंसा के बदले अवैध परितोषण प्राप्त किया गया। आपराधिक गतिविधियों से अर्जित अपराध की आय को अनेक व्यक्तियों एवं संस्थाओं के माध्यम से प्रवाहित कर उसे बेदाग परिसंपत्तियों के रूप में प्रदर्शित किया गया।

जांच से आगे यह भी स्थापित हुआ है कि शिक्षण पदों पर अभ्यर्थियों की बड़े पैमाने पर की गई अवैध भर्ती से अपराध की आय अर्जित की गई, जिसे तत्पश्चात विभिन्न माध्यमों से छिपाया गया, अपने कब्जे में रखा गया, अर्जित किया गया, उपयोग में लाया गया तथा बेदाग संपत्ति के रूप में प्रदर्शित किया गया। इस मामले में अब तक कुल 301.58 करोड़ रुपये की राशि से संबंधित अनंतिम कुर्की के 3 आदेश जारी किए जा चुके हैं।

इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में व्यापक तलाशी अभियान चलाया था, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत चल एवं अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया था तथा माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन

शिकायत एवं अनुपूरक अभियोजन शिकायत दायर की थी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रसन्न कुमार राय, जीवन कृष्ण साहा तथा अन्य कई आरोपियों को भी गिरफ्तार किया था।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पश्चिम बंगाल राज्य में समूह 'सी' एवं 'डी' कर्मचारी एसएससी भर्ती घोटाला मामले में पहले 247.35 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया था। एसएससी सहायक शिक्षक भर्ती घोटाला (कक्षा 9वीं से 12वीं) मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 301.58 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। पश्चिम बंगाल राज्य में प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाला के एक अन्य मामले में भी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) लगभग 154 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों को पहले ही अनंतिम रूप से कुर्क/जब्त कर चुका है। इस प्रकार, भर्ती घोटाला मामलों में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता द्वारा की गई कुल कुर्की अब **702.93 करोड़ रुपये** की है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने *पश्चिम बंगाल सरकार बनाम बैशाखी भट्टाचार्य (चटर्जी) एवं अन्य* मामले में एसएलपी (सिविल) संख्या 9586/2024 में दिनांक 03.04.2025 को पारित अपने निर्णय द्वारा 25,000 से अधिक शिक्षकों एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों को निरस्त कर दिया तथा संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया को भ्रष्ट एवं दागदार माना।

आगे की जांच प्रगति पर है।